

18/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपा विभागीय के
सम्मन तामिल शुदा प्राप्त हुए। जिले शामिल
पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वाले जवाब देकर
आई-ए फिनांक 18/06/24 को पेश हो।



18/06/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपा विभागीय
को जवाब के अवसर देने के बावजूद जवाब
पेश नहीं किया। अतः जवाब बंद किया जाता है।
वकील उपा ने उक्त आवेदन में बहल सुनने का
निवेदन किया। वकील उपा को बहल सुनी गई।
बहल पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन
अवलोकन किया गया। जिले उतीर ठेका है कि
उपा को उपा के फ्र स्वीकार करने योग्य है।
अतः नखतबंदी निर्णय अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ्रसल
सुमार होकर शामिल दफ्तर हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1 कलाराम पुत्र कुंभाराम 2. पुरखाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट, निवासी भाडा (नवातला बाखासर) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	विप्रार्थीगण 1. खेमाराम पुत्र भुराराम 2. केसाराम पुत्र सिमरथा 3. चेनाराम पुत्र हडुमान 4. खेताराम पुत्र खुमाराम 5. लच्छु पत्नि जेठा 6. लाधु पुत्र जेठा जाति जाट, निवासी रते का तला (सारला) 7. तुलछा पुत्र जगु 8. भाखराराम पुत्र हरखाराम जाति जाट, निवासी भाडा 9. बसरा पुत्र प्रेमा जाति मेगवाल, निवासी भाडा 10. कारु पुत्र मीरहसण 11. खडु पुत्र मीरहसण 12. रहीम पुत्र मीरहसण 13. आहमद पुत्र मुराद 14. मजीद पुत्र जानु 15. बसीर पुत्र जानु 16. लाखा पुत्र सतार 17. शोकत पुत्र मामदअली जाति मुसलमान, निवासी रते का तला, तहसील सेड़वा 18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।
---	-------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 174/2023

दिनांक : 18/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा भाडा के खेत खसरा संख्या 459/32 रकबा 6.7906 हैक्टर, खसरा संख्या 256/32 रकबा 6.9606 हैक्टर, खसरा संख्या 460/30 रकबा 1.8939 हैक्टर, खसरा संख्या 31 रकबा 0.7608 हैक्टर, खसरा संख्या 30 रकबा 5.1557 हैक्टर, खसरा संख्या 461/255 रकबा 2.5010 हैक्टर किस्म बा.सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से सम्बन्धित हेतु अधिकृत किया जाता है।



— 39 —
 (विरेन्द्रसिंह भाटी)
 उपखण्ड अधिकारी

सेड़वा
 दिनांक 18/06/2024

क्र.सं. / भू.अ. / 2024 / 2105-08

प्रसिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी कलाराम पुत्र कुंभाराम।
3. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र भुराराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
 सेड़वा
 (SDO)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 174/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

कलाराम बनाम खेमाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील - श्री ज्येष्ठ कुमार

निर्णय


दिनांक - 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा भाडा के खेत खसरा संख्या 459/32 रकबा 6.7906 हैक्टर, खसरा संख्या 256/32 रकबा 6.9606 हैक्टर, खसरा संख्या 460/30 रकबा 1.8939 हैक्टर, खसरा संख्या 31 रकबा 0.7608 हैक्टर, खसरा संख्या 30 रकबा 5.1557 हैक्टर, खसरा संख्या 461/255 रकबा 2.5010 हैक्टर किस्म बा.सोयम रिथत है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र नवातला बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा भाडा के खेत खसरा संख्या 459/32 रकबा 6.7906 हैक्टर, खसरा संख्या 256/32 रकबा 6.9606 हैक्टर, खसरा संख्या 460/30 रकबा 1.8939 हैक्टर, खसरा संख्या 31 रकबा 0.7608 हैक्टर, खसरा संख्या 30 रकबा 5.1557 हैक्टर, खसरा संख्या 461/255 रकबा 2.5010 हैक्टर किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।


(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारीकारी
(सेड़वा)